राजस्थान सरकार

कार्मिक (क-3/सुरक्षा) विभाग

क्रमांक प.4(13)कार्मिक/क-3/सुरक्षा/2005 — दिनांक 16 जनवरी, 2007 19

परिपत्र

विषयः सचिवालय परिसर में वाहनों के आवागमन एवं पार्किंग व्यवस्था।

शासन सचिवालय परिसर में वाहनों के आवागमन एवं पार्किंग व्यवस्था के सम्बन्ध में समसंख्यक परिपत्र दिनांक 11 जनवरी, 2007 जारी किया गया था। उक्त परिपत्र द्वारा निर्धारित व्यवस्थाओं में निम्न प्रकार से आंशिक संशोधन किये जाते हैं, जो तत्काल प्रभाव से लागू होंगे:-

1. **मंत्रालय कार्यालय भवन में पदस्थापित/कार्यरत सभी अधिकारीगण एवं कर्मचारीगण के चार पहिया वाहनों का सचिवालय परिसर में प्रवेश एवं निकास पश्चिम द्वार (West gate) से होगा और वे वाहन परिपत्र दिनांक 11 जनवरी, 2007 के साथ संलग्न नक्शे में दिखाए गये Barricade 'A' तक जा सकेंगे, तथा मंत्रालय भवन के पश्चिम की तरफ खुले पार्किंग-स्थल पर पार्क किये जायेंगे।**

2. शारीरिक रूप से चलने में असमर्थता संबंधी 40% या अधिक विकलांगता से ग्रसित निःशक्तजन के दुपहिया/तीन पहिया वाहन सचिवालय परिसर मे मुख्य द्वार (Main gate) से प्रवेश कर निम्न प्रकार पार्क किये जायेंगेः-
   - (अ) मुख्य भवन के उत्तरी भाग, खाद्य भवन तथा उत्तर-पश्चिमी भवन में पदस्थापित/कार्यरत निःशक्त कर्मचारीगण एवं निःशक्त आगन्तुकगण के वाहन सचिवालय परिसर के उत्तरी द्वार के पास इस हेतु निर्धारित किये गये स्थान पर पार्क किये जायेंगे।
   - (ब) मुख्य भवन के दक्षिणी भाग, विकास खण्ड भवन, DPR भवन तथा मंत्रालय भवन में पदस्थापित/कार्यरत निःशक्त कर्मचारीगण एवं निःशक्त आगन्तुकगण के वाहन मुख्य पोर्च के सामने से निकल कर DPR भवन/विकास खण्ड भवन की तरफ DPR भवन एवं विकास खण्ड भवन के बीच इस हेतु निर्धारित स्थान पर पार्क किये जायेंगे।

   नोटः-- *इस सुविधा का लाभ लेने के लिये निःशक्तजन कर्मचारीगण को अपने विकलांगता प्रमाण-पत्र सहित आवेदन-पत्र सचिवालय के सुरक्षा प्रकोष्ठ में प्रस्तुत कर पंजीयन कराना होगा।*

3. प्रेस/इलेक्ट्रोनिक मीडिया के वाहनों के लिये सूचना एवं जनसम्पर्क निदेशालय की अभिशंषा के आधार पर सचिवालय प्रशासन द्वारा सावधिक पार्किंग टोकन जारी किये जायेंगे और ऐसे चार पहिया वाहन उत्तर-पश्चिम पार्किंग के भू-तल (Ground floor) पर, तथा दो पहिया वाहन अन्य तलों पर निःशुल्क पार्क किये जा सकेंगे।

4. सचिवालय परिसर का DPR द्वार सांय 6:00 बजे से प्रातः 9:00 बजे तक बन्द रहेगा और इस अवधि में सभी वाहनों की निकासी मुख्य द्वार (Main gate) से ही होगी। यहाँ स्पष्ट किया जाता है कि DPR द्वार बन्द रहने के दौरान भी चार पहिया भूमिगत पार्किंग-स्थल से वाहनों की निकासी पूर्व निर्धारित व्यवस्थानुसार दक्षिण तरफ स्थित निकासी मार्ग (Exit from Car-Parking) से ही रहेगी।

(हस्ताक्षर)
शासन उप सचिव
कार्मिक(ख)विभाग
19/1/07

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः--

1. निजी सचिव, मा. मुख्य मंत्री महो. राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान, जयपुर।
3. विशिष्ट सहायक / निजी सचिव, समस्त मा. मंत्रीगण एवं राज्यमंत्रीगण।
4. पुलिस महानिदेशक, जयपुर।
5. निजी सचिव, समस्त प्रमुख शासन सचिव / शासन सचिव/विशिष्ट शासन सचिव, राजस्थान जयपुर।
6. समस्त सम्भागीय आयुक्तगण।
7. समस्त पुलिस महानिरीक्षक, पुलिस रेंज।
8. पुलिस महानिरीक्षक, मुख्य मंत्री सुरक्षा एवं विजिलेन्स।
9. निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग को विभिन्न समाचार-पत्रों में प्रकाशन हेतु प्रेषित है।
10. समस्त जिला कलेक्टर।
11. समस्त विभागाध्यक्ष।
12. समस्त जिला पुलिस अधीक्षक।
13. समस्त शासन उप सचिव / विशेषाधिकारी।
14. समस्त सहायक शासन सचिव / अनुभागाधिकारी।
15. समस्त अनुभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
16. नोटिस बोर्ड।

(हस्ताक्षर)
शासन उप सचिव